

#innovationnews इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी के तहत मिलेंगे एक लाख रुपए

यंगस्टर्स के इनोवेशन को पेटेंट दिलाने में सरकार करेगी मदद

78 इनोवेटर्स को विभाग ने किया चयनित, अब कॉलेज-यूनिवर्सिटी में आइपीआर सेल खुलवाने की तैयारी

p plus रिपोर्टर
patrika.com

जयपुर, इनोवेशन करने वाले युवाओं के लिए राहत की खबर है। उनके इनोवेशन और आइडिया को पेटेंट दिलाने में सरकार मदद करेगी। खासबात है कि यदि किसी ने कॉलेज व यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लेकर भी इनोवेशन किया है, उनको भी मदद मिलेगी। यह पहल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने शुरू की है। इसके साथ करीब एक लाख रुपए तक की मदद भी की जाएगी। विभाग ने करीब 78 युवाओं को चिह्नित भी किया है, जिन्होंने इनोवेशन किए हैं। इन्हें पेटेंट आवेदन करवाने के साथ अवॉर्ड भी दिया जाएगा।

दरअसल, कोविड के बाद विभाग के माध्यम से एक भी पेटेंट आवेदन नहीं हो पाया है। अंतिम बार 2019 में सोजत की मेहंदी को जीआइ टैग दिलवाने में मदद की



राजस्थान 10वें नंबर पर

युवाओं के नवाचार व आविष्कारों के लिए पेटेंट आवेदन के मामले में राजस्थान काफी पीछे है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अब तक सिर्फ 19 इनोवेटर के पेटेंट के लिए आवेदन करवाए हैं। जबकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश से एक हजार 278

गई। अब विभाग ने युवाओं के इनोवेशन को पेटेंट दिलवाने के लिए आवेदन में मदद करवाने और उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में बौद्धिक संपदा अधिकार (आइपीआर) सेल

आवेदन हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भी राजस्थान देश में 10वें नंबर पर है। इसमें पहले स्थान पर तमिलनाडु है, जहां से 7 हजार 686 आवेदन हुए हैं। जबकि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां से 5 हजार 626 आवेदन हुए हैं। वहीं, तीसरे स्थान पर उत्तरप्रदेश है, जहां से 5 हजार 564 आवेदन हुए हैं।

खुलवाने की तैयारी की है, जिससे युवाओं को अपने इनोवेशन का पेटेंट करवाने की जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए विभाग और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर

9 ने ही कराया पेटेंट

विभाग ने 78 इनोवेटर्स का चयन किया है, जिन्होंने नवाचार या आविष्कार किया है। इनमें यूनिवर्सिटी, हायर इंस्टीट्यूट, स्टार्टअप से जुड़े 46 इनोवेटर शामिल हैं, जबकि जमीनी स्तर पर नवाचार करने वाले 7 स्टूडेंट भी शामिल हैं। इनमें सिर्फ 9 से 10 इनोवेटर्स ने ही पेटेंट करवा रखा है। बाकि के नवाचारों का पेटेंट आवेदन करवाने में मदद करवाई जाएगी।

टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) की ओर से 22 अक्टूबर को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट, कॉपीराइट्स के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उन्हें इनोवेटर्स का मार्गदर्शन करने, लैब और वर्कशॉप्स का उपयोग कर प्रोडेक्ट बनाने और पेटेंट करवाने का प्रक्रिया सिखाई जाएगी। विभाग की ओर से पेटेंट दिलवाने में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी के तहत एक लाख रुपए तक की मदद भी की जाएगी।